क्रम-संख्या -303

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं डब्लू० पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 17 दिसम्बर, 2003

अग्रहायण 26, 1925 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1848/सात-वि-1—1(क)-32-2003

लखनऊ, 17 दिसम्बर, 2003

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पर दिनांक 16 दिसम्बर 2003 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2003 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2003)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2002 में सामान्य संशोधन

2—उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, शब्द "उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय" जहाँ कहीं भी आये हों, जिसके अन्तर्गत शीर्षक और दीर्घ शीर्षक भी हैं, के स्थान पर शब्द "किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय" रख दिये जायेंगे।

धारा 11 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 11 में, खण्ड (सत्रह) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(अट्ठारह) किसी राजकीय या निजी चिकित्सा महाविद्यालय को ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर सम्बद्धता या मान्यता के विशेषाधिकार देना जैसे विहित किये जायं और किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस लेना या उसमें कटौती करना और ऐसे महाविद्यालय के कार्यों का मार्गदर्शन और नियंत्रण करना।"

उद्देश्य और कारण

विभिन्न संगठन "छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ" के नाम को परिवर्तित करके "किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ" किये जाने की मांग कर रहे हैं। उक्त मांग के समर्थन में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज केवल प्रान्तीय या राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं वरन् अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पिछले 95 वर्षों से चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है। उक्त मेडिकल कालेज ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्वानों और महान चिकित्सकों को उद्‌भूत किया है। उक्त मेडिकल कालेज से अध्ययन प्राप्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर चिकित्सक आज भी अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, इंग्लैण्ड, न्यूजीलैण्ड, दक्षिणी अफ्रीका आदि जैसे विभिन्न वाह्य देशों में कार्यरत हैं और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में अपनी ख्याति बनाए हुए हैं। उक्त संगठनों की मांग पर विचार करते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 को संशोधित करते हुए "छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ" के नाम को परिवर्तित करके "किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ" कर दिया जाय। यह भी विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके उक्त विश्वविद्यालय को सशक्त किया जाय कि वह किसी राजकीय या निजी चिकित्सा महाविद्यालय को सम्बद्धता या मान्यता के विशेषाधिकार दे सके।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
आर० बी० राव,
प्रमुख सचिव।

No. 1848(2)-VII-V-1—1 (KA)-32-2003
Dated Lucknow, December 17, 2003

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Chhtrapati Sahuji Maharaj Chikitsa Vishwavidyalaya (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2003

(Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 2003) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 16, 2003.

THE UTTAR PRADESH CHHATRAPATI SAHUJI MAHARAJ MEDICAL UNIVERSITY (SECOND AMENDMENT) ACT, 2003

(U.P. ACT NO. 13 OF 2003)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

to amend the Uttar Pradesh Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Act, 2002.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University (Second Amendment) Act, 2003.

General amendment in U.P. Act no. 8 of 2002

2. In the Uttar Pradesh Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Act, 2002, hereinafter referred to as the principal Act, *for* the words "Uttar Pradesh Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University" wherever occurring including heading and long title the words "King George's Medical University" shall be *substituted.*

Amendment of section 11

3. In section 11 of the principal Act *after* clause (xvii) the following clause shall be *inserted,* namely :—

"(xviii) to admit any Government or private Medical College to the privileges of affiliation or recognition in such manner and on such terms and conditions as may be prescribed and to withdraw or curtail any such privilege, and to guide and control the work of such college"..

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Various organisations are demanding for changing the name of "Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University, Lucknow" by the "King George's Medical University Lucknow". In the support of the said demand it has been argued that the King George's Medical College has its reputation not only at provincial or national level but also at the international level for the last 95 years in the field of medical education, training and research. The said Medical College has produced scholars and great doctors at international level. The graduate and post graduate doctors who have studied from the said medical college are working even now a days in various foreign countries such as America, Canada, Australia, England, Newzealand, South Africa etc. and are maintaining their reputation in the field of medical education. Considering the demand of the said organizations it has been decided to amend the Uttar Pradesh Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University Act, 2002 to change the name of "Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University, Lucknow" by the "King George's Medical University, Lucknow". It has also been decided to amend the said Act to empower the said University to admit any Government or private Medical College to the privileges of affiliation or recognition.

The Uttar Pradesh Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University (Second Amendment) Bill, 2003 is introduced accordingly.

By order,

R. B. RAO,,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 750 राजपत्र (हि०)—(1798)—2003—597—(कम्प्यूटर/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 206 सा० विधा०—(1799)—2003—850—(कम्प्यूटर/आफसेट)।